

लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट

सेवा में

इलाहाबाद बैंक के सदस्य

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

अभिमत

- हमने इलाहाबाद बैंक ('बैंक') के स्टैंड एलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2019 को यथास्थिति तुलनपत्र, उस वर्ष को समाप्त अवधि हेतु लाभ-हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सार सहित वित्तीय विवरणों पर नोट अन्य व्याख्यात्मक सूचना समाविष्ट है जिसमें उस तिथि को हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं और सांविधिक लेखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 1893 शाखाओं की विवरणियां शामिल हैं। हमारे द्वारा तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। इसमें 1444 शाखाओं/कार्यालयों के तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण शामिल हैं जो लेखापरीक्षा के अधीन नहीं थे। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में बैंक के अग्रिमों का 8.38 प्रतिशत, जमाराशि का 24.50 प्रतिशत, ब्याज आय का 11.15 प्रतिशत तथा ब्याज व्यय का 26.53 प्रतिशत शामिल है।
- हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 द्वारा अपेक्षित बैंक के लिए अपेक्षित रूप में तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखानीतियों के अनुरूप अपेक्षित सूचना देता है और
  - 31 मार्च 2019 को यथास्थिति तुलनपत्र, बैंक के मामलों की सही और उचित स्थिति प्रकट करता।
  - उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ हानि लेखा के मामले में हानि का सही शेष दर्शाता है।
  - उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण के मामले में सही और उचित स्थिति दर्शाता है।

**अभिमत का आधार**

- हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों(एएस) के अनुसार की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का अतिरिक्त विवरण हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व खंड में वर्णित है। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार साथ ही वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार भी, बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार हमारे अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों एवं नैतिक आचार संहिता को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं समुचित हैं।

**मुख्य लेखापरीक्षा विषय**

- मुख्य लेखापरीक्षा विषय, वे विषय हैं जो चालू अवधि हेतु समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में, हमारे व्यावसायिक निर्णय में, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये विषय समग्रतः समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में निपटाए जाते हैं और उन पर हमारा अभिमत तैयार करते हैं और हम इन विषयों पर अलग से अभिमत नहीं देते।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members of Allahabad Bank

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

- We have audited the standalone financial statements of Allahabad Bank ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2019, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of 20 branches audited by us and 1893 branches audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Statement of Cash Flows are the returns from 1444 branches/offices which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 8.38 percent of advances, 24.50 per cent of deposits, 11.15 per cent of interest income and 26.53 per cent of interest expenses.
- In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:
  - true and fair view in case of the Balance sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2019;
  - true balance of loss in case of Profit and Loss account for the year ended on that date;and
  - true and fair view in case of statement of cash flows for the year ended on that date.

**Basis for Opinion**

- We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**Key Audit Matters**

- Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

(एसए 701 के अनुसार प्रत्येक मुख्य लेखापरीक्षा का विवरण)

(Description of each key audit matter in accordance with SA 701)

क्रम सं. Sl. No.	मुख्य लेखापरीक्षा विषय Key Audit Matters	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया Auditor's Response
1	<p><b>आईटी प्रणाली का मूल्यांकन</b></p> <p>आईआरएसी मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की पहचान हेतु बैंक की प्रणाली आधारित व्यवस्था है।</p> <p><b>Evaluations of IT systems</b></p> <p>The Bank has system based identification of non performing assets in accordance with IRAC Norms.</p>	<p><b>प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधि</b></p> <p>हमने प्रणाली की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है और हम संस्तुति करते हैं कि क्षमता को बढ़ाने हेतु प्रणाली को और दुरुस्त किया जाए।</p> <p><b>Principal Audit Procedures</b></p> <p>We have assessed the efficacy of the system and we recommend that the system to be calibrated further to enhance the vigorousness.</p>
2	<p><b>अनिश्चित कर स्थिति का मूल्यांकन</b></p> <p>विवादास्पद मामलों सहित बैंक में अनिश्चित कर की स्थिति महत्वपूर्ण है जिसमें विवादों के संभावित परिणाम निर्धारित करने हेतु महत्वपूर्ण निर्णय आवश्यक हैं।</p> <p>स्टैंड एलोन वित्तीय विवरण के नोट सं. 41.6 का संदर्भ लें</p> <p><b>Evaluation of uncertain tax positions</b></p> <p>The bank has material uncertain tax positions including matters under dispute which involves significant judgement to determine the possible outcome of the disputes.</p> <p>Refer Note No. 41.6 to standalone financial statement .</p>	<p><b>प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधि</b></p> <p>पूरे किए गए कर निर्धारणों का विवरण प्राप्त करें, कर निर्धारण पूरा करने हेतु मांग करें और आदेश हेतु अपील करें। हमने इन अनिश्चित कर स्थितियों में प्रबंधन स्थिति के मूल्यांकन में विविध पूर्ववर्तिता और निर्णयों पर विचार किया है।</p> <p><b>Principal Audit Procedures</b></p> <p>Obtained details of completed tax assessments, demands and appeal orders for assessment completed. We considered legal precedence and rulings in evaluating management position on these uncertain tax positions.</p>
3	<p><b>अग्रिम का प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में वर्गीकरण</b></p> <p>बैंक ने लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान उधार खातों को प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में अत्यधिक पुनर्वर्गीकरण और गैरवर्गीकरण किया है</p> <p><b>Classification of Advance into Priority &amp; Non Priority Sector</b></p> <p>Bank has made numerous reclassification and declassifications of borrowers accounts between priority &amp; non -priority sectors during the year under audit.</p>	<p><b>प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधि</b></p> <p>हमने शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा जारी परिवर्तन ज्ञापन से पाया है और निष्कर्षों को मान्य ठहराने के लिए परीक्षण जांच की है तथा पर्याप्त प्रक्रियाविधियां अपनाई है।</p> <p>हमारी राय में भविष्य में इस प्रकार के गलत वर्गीकरण से बचने हेतु बैंक को अपनी प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करना चाहिए।</p> <p><b>Principal Audit Procedures</b></p> <p>We have observed from Memorandum of Changes issued by Branch Auditors and have further performed test checks &amp; substantive procedures to validate the findings.</p> <p>We are of the opinion that Bank should further strengthen their system to avoid such type of misclassification in future.</p>

**प्रबंधन तथा समेकित वित्तीय विवरणों के गवर्नेंस के प्रभारी का उत्तरदायित्व**

5. बैंक का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के उपबंधों और भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार, बैंक की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करे। इस उत्तरदायित्व में आस्तियों की सुरक्षा हेतु और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और उनके बचाव करने हेतु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव करने, समुचित लेखनीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कलन करने, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तैयार करने, उसे कार्यान्वित करने और उसे बनाए रखने जो लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु परिचालित

**Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements**

5. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating

किए गए थे, जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने हेतु प्रासंगिक हों जो सत्य और निष्पक्षता दर्शाते हों और किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वह कपट अथवा त्रुटिवश हो, से मुक्त हो, शामिल है। वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन का यह दायित्व होगा कि वे बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने की योग्यता का मूल्यांकन करें, कार्यशील संस्था से संबंधित मामलों में यथाप्रयोज्य, प्रकटन करें लेखा का कार्यशील संस्था आधार पर प्रयोग करें जब तक कि प्रबंधन का इरादा बैंक के परिसमापन अथवा परिचालनों को बंद करने का न हो या ऐसा करने का कोई व्यावहारिक विकल्प न हो।

#### समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों का दायित्व

6. हमारा उद्देश्य उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्रतः वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या चूक के कारण हो और अपनी राय सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। उचित आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है, किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा हमेशा महत्वपूर्ण मिथ्या कथन की पता लगाएगी जब वह मौजूद हो। मिथ्याकथन धोखाधड़ी अथवा चूक का कारण हो सकता है और इसे महत्वपूर्ण तब समझा जाता है यदि व्यक्तिगत रूप से अथवा सकल रूप से, इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करना समुचित रूप से अपेक्षित हो सके।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का उपयोग करते हैं पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेहवाद को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो अथवा त्रुटिवश, के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन, इन जोखिमों के प्रत्युत्तर में लेखापरीक्षा प्रक्रिया तैयार और निष्पादित करना, और हमारी राय के आधार हेतु पर्याप्त और समुचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता न लगने का जोखिम त्रुटिवश हुए महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से अधिक होता है क्योंकि, धोखाधड़ी में साठ-गांठ, जालसाजी, इरातदन चूक, मिथ्या निरूपण अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- प्रयुक्त लेखनीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा प्राक्कलन और संबंधित प्रकटन की समुचितता का मूल्यांकन।
- लेखा के गतिशील संस्था के आधार पर और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन के प्रयोग समुचितता का निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटना या परिस्थिति से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो गतिशील संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डालती है। यदि हम सह निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है तो हमसे अपेक्षित है कि वित्तीय विवरणों में प्रकटन के संबंध में हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित करें अथवा, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय में संशोधन करें। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां बैंक को गतिशील संस्था बने रहने से रोकने का कारण बन सकती हैं
- प्रकटन सहित, समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन और क्या समेकित वित्तीय विवरण मूल लेनदेनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस प्रकार के हैं जिससे उचित प्रस्तुतीकरण प्राप्त होते हैं।

effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error. In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

#### Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

6. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

हम गवर्नेस के प्रभारियों को, अन्य मामलों के संबंध में नियोजित संभावना और लेखापरीक्षा समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष, आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण विसंगति सहित, जिसे हमारी लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा के संबंध में हमने पहचाना हो, सूचित करते हैं।

हम गवर्नेस के प्रभारी को स्वतंत्रता के संबंध में अपेक्षित प्रासंगिक नैतिकता के साथ हमारे द्वारा तैयार विवरण भी उपलब्ध कराते हैं और उन्हें सभी संबंधों तथा अन्य मामलों की सूचना देते हैं जो समुचित रूप से हमारी स्वतंत्रता को वहन करता हो और जहां प्रयोज्य हो, संबंधित सुरक्षोपाय भी बताते हैं।

#### अन्य मामले

7. हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों/सूचना में शामिल 1893 शाखाओं/कार्यालयों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण/ वित्तीय सूचना 31 मार्च, 2019 को यथास्थिति ₹108710.22 करोड़ की कुल आस्तियां दर्शाते हैं और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु ₹6272.31 करोड़ का कुल राजस्व, जिस पर एकल वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचना की लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय, जहां तक संबंधित शाखाओं के संबंध में राशि और प्रकटन से संबंधित है, पूर्णतया अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय के कोई संशोधन नहीं है।

#### मामले पर बल

8. हम 31.03.2018 तक सृजित ₹2156.00 करोड़ के अशोध्य और संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान संबंधी आस्थगित कर आस्तियों और ₹1118.19 करोड़ की आगे ले जाई गई हानि के संबंध में अनुसूची 18-वित्तीय लेखाओं पर नोट के पैरा 21 की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

9. तुलन पत्र एवं लाभ हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं।

10. उपर्युक्त पैराग्राफ 5 से 7 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के आधार पर एवं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा यथा अपेक्षित तथा उसमें प्रकट सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(ए) हमने वे सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे तथा हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

(बी) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकारों के अंतर्गत हैं।

(सी) बैंक की शाखाओं एवं कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।

#### 11. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

क) हमारी राय में, अब तक विधि द्वारा यथापेक्षित समुचित खाता-बहियां बैंक द्वारा रखी गई हैं जो इन बहियों की हमारी जांच से प्रकट होता है [और हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

#### Other Matter

7. We did not audit the financial statements / information of 1893 branches/ offices included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of ₹108710.22 crore as at 31<sup>st</sup> March 2019 and total revenue of ₹6272.31 crore for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

#### Emphasis on matter

8. We draw attention to para no. 21 of Schedule 18- Notes to financial accounts regarding Deferred Tax Assets on provision for bad and doubtful debts ₹2156.00 crores and carried forward loss ₹1118.19 crores created upto 31.03.2018.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

#### Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5 to 7 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

#### 11. We further report that:

a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books [and proper returns

समुचित विवरणियां शाखाओं से प्राप्त की गई हैं जिनका दौरा हमने नहीं किया है।

- ख) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण बहीखाते के अनुसार है [और शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के अनुसार है जिनका दौरा हमने नहीं किया है]
- ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय इस पर समुचित ध्यान दिया गया है; और
- घ) हमारी राय में लेखापरीक्षा हेतु तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण उस सीमा तक प्रयोज्य लेखा मानकों के अनुरूप है, जहां तक वे भारिबे द्वारा निधारित लेखा नीतियों से असंगत नहीं हैं।

adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us]

- b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account [and with the returns received from the branches not visited by us]
- c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक / Statutory Central Auditors

कृते मे. नंदी हलदर एंड गांगुली  
For M/s Nandy Halder & Ganguli  
सनदी लेखाकार

Chartered Accountants  
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 302017E

(सीए राणा प्रताप नंदी)  
(CA Rana Pratap Nandy)  
पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / Membership No.051027

कृते मे. पी.एल. टंडन एंड कं.  
For M/s P L Tandon & Co.  
सनदी लेखाकार

Chartered Accountants  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 000186C

(सीए अनिल कुमार अग्रवाल)  
(CA Anil Kumar Aggarwal)  
पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / Membership No.071548

कृते मे. आर. गोपाल एंड एसोसिएट्स  
For M/s R. Gopal & Associates  
सनदी लेखाकार

Chartered Accountants  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 000846C

(सीए गोपाल दास अग्रवाल)  
(CA Gopal Das Agarwala)  
पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / Membership No.051609

कृते मे. जेबीएमटी एंड एसोसिएट्स  
For M/s JBMT & Associates  
सनदी लेखाकार

Chartered Accountants  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 320232E

(सीए बासुदेव ओझा)  
(CA Basudev Ojha)  
पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / Membership No.055193

कृते मे. प्रकाश एस. जैन एंड कं.  
For M/s Prakash S. Jain & Co.  
सनदी लेखाकार

Chartered Accountants  
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 002423C

(सीए गौरव थपाडिया)  
(CA Gaurav Thepadia)  
पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / Membership No.405326

स्थान / Place: कोलकाता / Kolkata  
दिनांक / Date: 10.05.2019